प्रेस नोट दिनांक 05.12.2024 जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़

–पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

–अभियुक्तों द्वारा मृतक को डण्डे से पीटकर हत्या करने से संबंधित 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

–अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल बांस का डण्डा बरामद किया गया।

–थाना अन्तू पुलिस टीम द्वारा अन्तू रेलवे स्टेशन पर पश्चिमी केविन के पास स्थित हनुमान मंदिर से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 03.12.2024 को अन्तू थानाक्षेत्र के ग्राम उपाध्यायपुर में गांव के बाहर एक खेत में हत्या कर शव पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर जांच से ज्ञात हुआ कि मृतक अयोध्या प्रसाद उम्र करीब 37 वर्ष पुत्र सत्यनारायण वर्मा निवासी ग्राम उपाध्यायपुर मजरे कमालुद्दीनपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ हत्या कर दी गई है। मृतक दिनांक 01.12.2024 को अपने गांव से थानाक्षेत्र कोहड़ौर में बारात में गया था। वहां पर गांव के ही व्यक्ति शनिदेव वर्मा पुत्र भोलानाथ वर्मा से कहासुनी और विवाद हो गया था। जिसके संबंध में प्रार्थी की तहरीर के आधार पर दिनांक 03.12.2024 को थाना अंतू में मु0अ0सं0 627/2024 धारा 103(1), 191(2),191(3), 351(3) बीएनएस बनाम 05 नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है । तथा अभियोग उपरोक्त में धारा 61(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डाॅ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत व अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण बैश के नेतृत्व में प्रभारी निरी0 आनन्द पाल सिंह मय हमराह निरीक्षक अपराध श्री विनोद कुमार यादव, उ0नि0श्री प्रदीप कुमार,का0 अनिल यादव, का0 सुनील पटेल द्वारा 03 अभियुक्तों 1.शनी उर्फ शनिदेव पुत्र भोलानाथ वर्मा उम्र करीब 20 वर्ष 2. अशोक कुमार पुत्र भोलानाथ वर्मा उम्र करीब 35 वर्ष 3. कुलदीप पुत्र भोलानाथ वर्मा उम्र करीब 24 वर्ष निवासीगण उपाध्यायपुर मजरे कमालुद्दीनपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 05.12.2024 को थानाक्षेत्र अन्तू के अन्तू रेलवे स्टेशन पर पश्चिमी केविन के पास स्थित हनुमान मंदिर से गिरफ्तार किया गया। अभियोग उपरोक्त में धारा 61(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त शनी उर्फ शनीदेव उपरोक्त द्वारा कड़ाई से पूछताछ किये जाने पर बताया कि दिनांक 01.12.2024 को थानाक्षेत्र कोहड़ौर में बारात में मृतक के साथ कहासुनी/विवाद हो गया था जिसपर हमलोगों नें ग्राम उपाध्यायपुर में मृतक को डण्डा से मारकर हत्या कर दिये थे। घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद बांस का डण्डा घटनास्थल के पास शीतला प्रसाद के खेत के पास शमसान की तरफ झाड़ियों में खाई के उस तरफ फेंक दिया था और घटना के समय पहना हुआ स्वेटर अपने घर के सामने मड़ही में छिपा दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01- शनी उर्फ शनिदेव पुत्र भोलानाथ वर्मा निवासी उपाध्यायपुर मजरे कमालुद्दीनपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष

02- अशोक कुमार पुत्र भोलानाथ वर्मा निवासी ग्राम उपाध्यायपुर मजरे कमालुद्दीनपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष

03- कुलदीप पुत्र भोलानाथ निवासी ग्राम उपाध्यायपुर मजरे कमालुद्दीनपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

प्रभारी निरीक्षक श्री आनन्द पाल सिंह मय हमराह निरीक्षक अपराध श्री विनोद कुमार यादव, उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार,का0 अनिल यादव, का0 सुनील पटेल थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

–हत्या, मारपीट, धमकी व एससी एसटी एक्ट के अभियोग से संबंधित अन्य 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

–थाना फतनपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को उसके स्वस्थ्य/डिस्चार्ज होने पर जिला अस्पताल से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया,

–अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त गमच्छा व आलाकत्ल 03 पत्थर का टुकड़ा बरामद

–दिनांक 28.11.2024 को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नईकोट में मारपीट हुई थी । जिसमें इलाज के दौरान हुई 01 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी

–पूर्व में 01 वांछित अभियुक्त गणेश बिन्द को भेजा जा चुका है जेल

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.11.2024 को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नईकोट में मारपीट हुई थी । वादी की तहरीर के आधार पर थाना फतनपुर में मु0अ0सं0- 252/2024 धारा- 115(2), 352, 351(3), 118(1), बी0एन0एस0 व 3(1)द, 3(1)ध एससी एसटी एक्ट बनाम 02 नामजद व 01 अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया था। जिसमे इलाज के दौरान हुई 01 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। जिसके क्रम में धारा 103(1), बीएनएस व 3(2)V एससी एसटी एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। उक्त प्रकरण के संबंध में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए थे।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिए गये निर्देश के क्रम में थाना फतनपुर पुलिस द्वारा पूर्व में 01 वांछित अभियुक्त गणेश बिन्द पुत्र पन्नालाल बिन्द निवासी ग्राम बिन्द बस्ती, करका न0पं0 सुवंसा थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को जेल भेजा गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह के नेतृत्व व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 05.12.2024 को प्रभारी निरीक्षक फतनपुर श्री राकेश कुमार राय के नेतृत्व में उ0नि0 संतोष कुमार वर्मा मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0- 252/2024 धारा- 115(2), 352, 351(3), 118(1), 103(1) बी0एन0एस0 व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)V एससी एसटी एक्ट से संबंधित अन्य 01 अभियुक्त रमाशंकर बिन्द पुत्र स्व0 हीरालाल बिन्द निवासी कारका थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके स्वस्थ्य/डिस्चार्ज होने पर जिला अस्पताल से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त ने बताया गया कि मेरे गले में गमच्छा है। इसी गमच्छा में पत्थर बाँधकर अपने बचाव में घुमाया गया था वही पत्थर मृतक रमाशंकर सरोज को लग गया था। घटनास्थल पर मैंने वह पत्थर खोलकर फेंक दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. रमाशंकर बिन्द पुत्र स्व0 हीरालाल बिन्द निवासी कारका थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम- उ0नि0 संतोष कुमार वर्मा मय हमराह हे0का0 रणजीत सिंह, का0 कुशल यादव थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 राकेश कुमार सिंह मय हमराह धीरज कुमार देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान, मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच द्वारा कंटेम्प्ट एप्लीकेशन नम्बर 2327/21 से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त डाॅ0 सुमनेश सिंह पुत्र स्व0 माधव सिंह निवासी ग्राम भुवालपुर डोमीपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-
01. डा0 सुमनेश सिंह पुत्र स्व0 माधव सिंह निवासी ग्राम भुवालपुर डोमीपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 राकेश कुमार सिंह मय हमराह धीरज कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।